भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2129

दिनांक 12.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

खुले में शौच मुक्त योजना का कार्यान्वयन

2129. श्री राजेश रंजनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) खुले में शौच मुक्त योजना के अंतर्गत निर्मित शौचालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार संख्या क्या है:
(ख) इस योजना के अंतर्गत इस मद पर जिला-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है, और
(ग) क्या आज की स्थिति के अनुसार देश भर के सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम (जी) की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] के अंतर्गत 02-10-2014 से 04-02-2026 तक निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-1** में दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 2014 से एसबीएम (जी) के तहत निर्मित आईएचएचएल का जिला-वार विवरण एसबीएम (जी) डैशबोर्ड के माध्यम से "अपने स्वच्छ भारत डेटा को जानें" के तहत निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:
https://sbm.gov.in/sbmphase2/Secure/Report/SBM_TargetVsAchievementYearWise.aspx

(ख) स्वच्छता राज्य का विषय है। एसबीएम (जी) चरण II, एक केंद्र प्रायोजित योजना होने के कारण, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों द्वारा अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर

कार्यान्वित की जाती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र एसबीएम (जी) के तहत निधियां प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत में अपनी वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएं प्रस्तुत करते हैं। एसबीएम (जी) चरण-II के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को घटक-वार निधियां जारी नहीं की जाती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकता और आयोजना के अनुसार जिलों को निधियां आवंटित, जारी और निगरानी कर सकते हैं। एसबीएम (जी) के तहत वित्त वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केंद्रीय हिस्से की निधियों का विवरण **अनुबंध-2** में दिया गया है।

(ग) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)], एक केंद्र प्रायोजित योजना 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराकर 2 अक्टूबर 2019 तक देश को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाना है। इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया गया और सभी गांवों, जिलों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 2 अक्टूबर, 2019 को स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया।

अनुबंध-1

दिनांक 12.02.2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2129 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध

एसबीएम (जी) के तहत 2.10.2014 से 04.02.2026 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मित आईएचएचएल की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	23394
2	आंध्र प्रदेश	4457387
3	अरुणाचल प्रदेश	155725
4	असम	4228133
5	बिहार	14223594
6	छत्तीसगढ	3625479
7	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव	22164
8	गोवा	30361
9	गुजरात	4455629
10	हरियाणा	733759
11	हिमाचल प्रदेश	232229
12	जम्मू एवं कश्मीर	1431628
13	झारखंड	4213753
14	कर्नाटक	5080431
15	केरल	273194
16	लद्दाख	22968
17	लक्षद्वीप	10
18	मध्य प्रदेश	7793433
19	महाराष्ट्र	7220894
20	मणिपुर	277553
21	मेघालय	317269
22	मिजोरम	51010
23	नागालैंड	150192
24	ओडिशा	7575501
25	पुदुचेरी	29890
26	पंजाब	572923
27	राजस्थान	8590938
28	सिक्किम	26411
29	तमिलनाडु	6109008
30	तेलंगाना	3146644
31	त्रिपुरा	506433
32	उत्तर प्रदेश	25780920
33	उत्तराखंड	550205
34	पश्चिम बंगाल	8578540
	कुल	**120487602**

[राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसबीएम (जी) के आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार]

अनुबंध-2

दिनांक 12.02.2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2129 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार 2014-15 से 2024-25 तक एसबीएम (जी) के तहत जारी केंद्रीय अंश निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	3.40	3.00	30.72	4.70	0.00	7.07	0.00	0.29	0.75	1.60	51.53
2	आंध्र प्रदेश	116.10	234.17	342.21	1219.88	1381.11	248.11	212.27	58.26	147.03	0.00	75.52	4034.66
3	अरुणाचल प्रदेश	14.61	38.71	65.09	137.30	51.31	61.01	15.28	4.10	14.72	15.81	7.41	425.35
4	असम	185.78	474.27	747.58	1171.95	882.09	545.97	276.81	256.78	214.45	389.77	105.21	5250.66
5	बिहार	0.00	221.55	131.86	875.92	2943.69	1867.38	88.56	128.01	711.49	700.00	166.51	7834.97
6	छत्तीसगढ	28.12	144.72	584.46	677.83	448.50	138.98	68.43	0.00	177.54	83.98	0.00	2352.56
7	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव	0.00	0.00	0.00	19.68	0.84	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17
8	गोवा	0.00	1.05	0.00	0.52	0.00	0.26	0.23	15.32	25.18	19.61	9.70	71.87
9	गुजरात	156.07	478.22	751.23	466.04	192.92	238.45	312.56	171.36	53.63	109.61	151.40	3081.49
10	हरियाणा	5.93	32.76	68.79	39.66	70.24	115.39	80.60	29.95	0.00	0.00	25.11	468.43
11	हिमाचल प्रदेश	130.17	4.37	117.30	20.68	0.00	33.61	23.62	41.95	38.28	42.00	28.65	480.63
12	जम्मू एवं कश्मीर	103.08	4.05	59.51	202.38	278.37	139.58	24.89	120.00	116.79	241.33	185.00	1474.98
13	झारखंड	23.05	97.32	455.46	698.66	753.02	473.57	153.31	0.00	70.03	50.00	0.00	2774.42
14	कर्नाटक	312.54	450.77	419.56	983.39	739.73	219.80	126.31	0.00	155.84	42.34	95.27	3545.55
15	केरल	33.97	8.50	196.28	59.36	12.47	141.40	103.73	5.66	74.00	0.00	11.67	647.04
16	लद्दाख	0	0	0	0	0	00	2.71	3.56	1.28	5.75	2.55	15.85
17	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	1.94
18	मध्य प्रदेश	0.00	374.33	1210.77	1380.61	590.94	242.65	291.48	334.48	184.56	113.39	121.05	4844.26
19	महाराष्ट्र	236.11	567.45	528.94	1235.34	1352.92	396.97	276.75	0.00	0.00	110.45	189.14	4894.07
20	मणिपुर	9.18	44.19	54.49	77.02	75.06	55.62	17.51	12.09	12.86	0.00	0.00	358.02
21	मेघालय	0.00	35.65	75.70	153.89	0.00	37.13	65.41	36.56	16.57	20.81	0.00	441.72
22	मिजोरम	0.00	3.32	10.98	46.24	12.73	10.78	14.05	13.22	9.84	4.98	8.83	134.97
23	नागालैंड	20.87	10.83	64.12	71.41	59.93	39.49	22.17	9.01	19.72	31.07	20.69	369.31
24	ओडिशा	65.84	571.50	863.65	457.02	1367.62	2044.36	58.92	0.00	0.00	46.52	111.26	5586.69
25	पुदुचेरी	2.00	4.40	0.00	50.25	0.00	2.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	58.76
26	पंजाब	0.00	38.70	197.02	283.48	0.00	97.18	65.94	0.00	42.05	54.81	41.30	820.48
27	राजस्थान	271.57	938.73	777.30	981.51	865.88	390.00	229.26	275.93	288.78	69.43	98.18	5186.57
28	सिक्किम	3.89	6.12	7.04	12.98	1.96	5.44	6.15	4.49	5.79	6.66	7.61	68.13
29	तमिलनाडु	205.12	78.94	537.02	865.94	760.99	137.80	162.89	0.00	78.47	239.74	99.56	3166.47
30	तेलंगाना	105.62	128.39	135.72	481.94	515.05	119.93	46.86	0.00	0.00	14.18	9.56	1557.25
31	त्रिपुरा	50.65	38.89	24.98	24.00	116.93	81.06	24.33	17.14	28.28	35.79	21.78	463.83
32	उत्तर प्रदेश	237.99	565.39	853.33	3155.37	7414.07	2249.94	800.32	370.59	910.23	2506.71	785.64	19849.58
33	उत्तराखंड	40.52	49.37	348.05	146.69	65.80	50.23	50.69	14.25	37.29	63.75	8.89	875.53
34	पश्चिम बंगाल	371.52	712.92	640.50	583.23	534.25	808.18	261.31	135.45	406.01	720.00	150.47	5323.84
	कुल	2730.30	6362.98	10271.94	16610.89	21493.12	10992.27	3892.18	2058.16	3842.94	5739.24	2539.56	86533.58